(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दुर्गा शंकर मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 345/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/406

बउनवान

कल्याण पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी बावड़ीखेड़ा तहसील छबड़ा हाल निवासी जैल कॉलोनी सालपुरा रोड अटरू तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री कालूराम जाति मीणा निवासी बावड़ीखेड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 483 दिनांक 15.11.2021 वाके ग्राम खेड़ला तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–	1– श्री मदन लाल गालव अभिभाषक	(अपीलांट)
	2– अनुपस्थित	(रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पोडेन्ट क्र. 2)

निर्णय दिनांक 07.02.2023

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 483 दिनांक 15.11.2021 वाके ग्राम खेड़ला तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 21.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की सत्य प्रतिलिपि को हीं आधार मानकर उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि उक्त आराजी खसरा नं. 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा का हिस्सा 21/120 पर तहसीलदार छबड़ा द्वारा इंतकाल नं. 483 दिनांक 15.11.2021 को खोलकर रेस्पो. क्रम 1 का नाम 21/120 पर बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल खोला गया है जो फर्जी एवं कपटपूर्ण है। अपीलांट के कब्जे व स्वामित्व की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से एक फर्जी रजिस्ट्री करने के लिए फर्जी विक्रय पत्र तैयार किया गया है। वास्तविक तथ्यों की जानकारी के बिना एवं बिना कब्जे के हस्तान्तरण के हीं इंतकाल खोला गया है। वास्तविकता यह है कि खातेदार लालजीराम पुत्र बिहारीलाल मीणा निवासी बावड़ीखेड़ा तहसील छबड़ा ने वादग्रस्त आराजी व अन्य खसरा नं. के उसके सम्पूर्ण हिस्से को जरिये इकरारनामा अपीलांट व भाईयों के विक्रय कर हस्तांतरित कर दिया था तथा बंटवारे में भी वादग्रस्त आराजी अपीलांट के हिस्से में आयी थी जिस बाबत् भी उसकी रजिस्ट्री कराकर अपीलांट व भाईयों के नाम करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने का करार दिनांक 26.04.2005 को करवाकर नोटेरी से प्रमाणित करवा दिया था एवं विक्रय धन 4,40,000/– रूपया नकद प्राप्त कर लिये थे, जब से हीं अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर बतौर मालिक काबिल चले आ रहे है जिसे 12 वर्ष से अधिक 16 वर्ष हो चुके है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:02:05 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है। खातेदारी लालजीराम की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी में दर्ज होने के कारण उसके वारिसों ने गलत तरीके से बृजमोहन पुत्र लालजीराम ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है एवं फिर उसे रेस्पो. क्रम 1 के सांठगांठ कर फर्जी तरीके से कपटपूर्वक अपीलांट के कब्जे एवं स्वामित्व की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से बेचाननामा करवा लिया जो अवैधानिक है। वास्तव में रेस्पो. क्रम 1 जमीन का न तो वास्तविक स्वामी था, न हीं काबिज था। इस कारण फर्जीवाड़ा एवं कपट के आधार पर तैयार दस्तावेजात के आधार पर खोंला गया इंतकाल निरस्तनीय है। खातेदारी नाम होने का फायदा उठाकर बृजमोहन ने रेस्पो. क्रम 1 को बेचान किया है एवं रेस्पो. क्रम 1 भी किसी अन्य को बेचान करने एवं काश्त करने में व्यवधान पैदा करने को आमादा है जिन्हें रोका जाना आवश्यक है। लालजीराम ने अपीलांट व भाईयों को वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तान्तरण करने के बाद मिथ्या आधारों पर एसडीओ कोर्ट, छबड़ा में एक दावा अंतर्गत धारा 188, 183 आर.टी.ए प्रकरण सं. 172/06 पेश किया था, उसका दावा दिनांक 28.07.2010 को खारिज कर दिया गया है एवं कब्जा व स्वामित्व अपीलांट का हीं माना है।

अतएव अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निवेदन है कि इंतकाल नं. 483 दि. 15.11.2021 को खारिज फरमाया जावें एवं उसके आधार पर दर्ज खातेदारी को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पो. क्रम 2 पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तसदीकी इंतकाल नम्बर 483 दिनांक 15.11.2021 वाके ग्राम खेड़ला तहसील छबडा उक्त आराजी क्रेता बद्रीलाल पुत्र लालजीराम मीणा निवासी बावडीखेड़ा द्वारा रामस्वरूप पुत्र कालूराम मीणा निवासी बावड़ीखेड़ा को विक्रय पत्र से विक्रय की गई जिसके आधार पर इंतकाल खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 483 दिनांक 15.11.2021 वाके ग्राम खेड़ला तहसील छबडा विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **07.02.2023** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दुर्गा शंकर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:02:05 IST
Reason: SelfAttested